न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

तारीख दायरा: 20.10.2023

मि0न0 38/अपील/23

पन्नालाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ निवासी पाउखेड़ी पटवार हल्का चछलाव तहसील सुनेल जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड़
प्रकरण संख्या 480/23 दिनांकः 06.10.2023

उपस्थितः– श्री गिरीराज नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

दिनांक: 07.02.2024

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुनेल के आदेश दिनांक 06.10.2023 जो मिसल न0 480/2023 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम पाउखेड़ी पटवार हल्का चछलाव तहसील सुनेल की आराजी ख0न0 53 रकबा 8.2960 है0 किस्म चारागाह में से 0.0632 है0 पर ज्वार बोई जाने का अतिक्रमी मानकर 24/–रू0 शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अतिक्रमी गलत माना गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण नही किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्टि करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेराकार सरकार ने व्यक्त किया कि कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार तहसील सुनेल में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट ने वर्तमान मे प्रश्नगत आराजी से कब्जा छोड दिया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को राहत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर मिसल न0 98 दिनांक 13.11.2021 से 49/–रू0 शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार सुनेल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजी से कब्जा हटा लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम 20000/– रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांकः 07.02.2024 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़